



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

फैक्स -01498 -261233

दूरभाष : 01498-261202,261227

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail – csf.jetsar@indiaseeds.com

NO: CSF / JTS / MKG / 1-2 /GS / 2021-22/-

Dated: 20.07.2021

अल्पकालीन निविदा

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर को पैकिंग सामाग्री /जनरल स्टोर के सामान की आवश्यकता है, जिनकी दरें इच्छुक निविदाताओं से बंद लिफाफे में दिनांक 04.08.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 3.00 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। अमानत राशि रुपये 10,000/- होगी, जिसका आरटीजीएस निगम के खाता संख्यां -33963396672 (IFSC Code No: SBIN0008251) में जमा करना होगा। निविदा की विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	आपूर्ति स्थल
1	धागा (2000 मी.प्रति नग IPO CON)	900 नग	FOR केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राज.)
2	Lead Seal (1/2 Diameter Approximate 2.5 gm Each) (1 Kg 400 Pi weight vibration 8-10%)	800 Kg	
3	पॉली पाउच (4" x 5" inch)	265 Kg	
4	Broom (Nariyal)	28 Kg	

निविदा की नियम व शर्तें:

- सामान का पुराना स्टॉक पाये जाने पर संबंधित फर्म स्वयं के खर्च पर वापिस लेगी तथा उसके बदले में उतनी ही संख्या में सामान उपलब्ध करायेगी।
- उक्त सामान का आपूर्ति आदेश प्राप्त होते ही शीघ्र आपूर्ति देनी होगी।
- अपूर्ण निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर को होगा।
- निविदादाता को पेन कार्ड व जीएसटी नंबर की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। यदि फर्म MSME से पंजीकृत हैं तो MSME प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
- पूर्ण आपूर्ति होने के उपरांत उक्त सामान के संलग्न नमूने के आधार पर फार्म समिति द्वारा संतोषजनक पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता को 15 दिन के अंतर्गत बीजक का भुगतान कर दिया जाएगा।
- सामान की मात्रा अवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
- निविदा प्रपत्र के साथ संबंधित सामान का नमूना संलग्न करना होगा।
- MSME से पंजीकृत फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी।

फार्म प्रमुख